भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 581
उत्तर देने की तारीख: 06.02.2024

अनुसूचित जातियों के लिए कोचिंग सेन्टर

581. **श्री एस. मुनिस्वामी:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार, देश में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितने प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग सेंटर मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित हैं;
(ख) क्या कर्नाटक में कोलार जैसे अनुसूचित जाति की अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कोचिंग सेंटरों की संख्या बढ़ाने अथवा नए कोचिंग सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या मंत्रालय सिविल सेवक बनने की इच्छा रखने वाले वंचित छात्रों के व्यापक हित के लिए यथासमय इस पर विचार करेगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए, सिविल सेवा परीक्षा के अलावा, बैंकिंग, रेलवे, कर्मचारी चयन आयोग आदि की परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई व्यावहारिक अध्ययन किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ड.) क्या सरकार निकट भविष्य में इस पर विचार करेगी और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरियां प्राप्त करने और/अथवा प्रतिष्ठित तकनीकी और व्यवसायिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के वास्ते नि:शुल्क कोचिंग स्कीम नामक एक स्कीम का संचालन करता है। वर्ष 2023-24 से, यह स्कीम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित डॉ. अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (डीएसीई) के माध्यम से डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) द्वारा चलाई जा रही है। वर्तमान में, 17 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) से (ङ): स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिविल सेवा परीक्षा के अलावा, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। विवरण एफसीएस पोर्टल अर्थात coaching.dosje.gov.in और onhttps://socialjustice.gov.in/schemes/30 पर उपलब्ध है।

*****